छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | षोडश सत्र | अंक-05

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2023</u>

(फाल्गुन 15, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

<u>1. प्रश्नकाल</u>

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03, 04,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

प्रश्न संख्या 05, 06 07 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री केशव प्रसाद चन्द्रा अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित एवं 56 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा प्रयुक्त कथन आपत्तिजनक होने के आधार पर श्री मोहम्मद अकबर,वन मंत्री द्वारा आसंदी से उक्त कथन विलोपित किये जाने का आग्रह किया ।

इस पर माननीय उपाध्यक्ष ने कथन किया कि मैं इसको दिखवा कर विलोपित करवा दूंगा ।)

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

(सदन की कार्यवाही 12.00 बजे स्थगित की जाकर 12.30 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

3. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 13 मार्च, 2023 की तिथि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि- आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2023 को शाम तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. सदन को सूचना

(1) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भोजन की व्यवस्था सभा की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् माननीय सदस्यों, शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं पत्रकार साथियों के लिए विधान सभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में की गई है । सभी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सादर आमंत्रित हैं ।

(2) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज अपराह्न 3.00 बजे से छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के समक्ष लॉन में विधायक क्लब एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से " **होली मिलन समारोह**" आयोजित है, जिसमें माननीय सदस्यों के साथ श्री डेविड निराला एवं साथियों द्वारा 'फाग गीत' तथा श्री हेमलाल पटेल व साथियों द्वारा 'हास्य व्यंग्य' का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा।

आप सभी माननीय सदस्य, पत्रकारगण एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी उक्त "**होली मिलन समारोह**" में सादर आमंत्रित हैं।

अपराह्न 1.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 (फाल्गुन 22, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा